

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)  
अधिसूचना

पटना तारीख .....

सं० ..... रा० चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- राबनीमा चादर सं० 01, थाना नं०- 130, परगना- गयासपुर, थाना- बाढ़, के जिला पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बाढ़ से बखिरगारपुर नई बड़ी रेल लाईन निर्माण के लिए सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- राबनीमा चादर सं०-01, थाना नं०- 130 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक गांव से कम- वेश 11,305 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या - 419, 421, 425, 1191, 1209, 1225, 1227, 1234, 1235, 1239, 1240, 1241, 1243, 1244, 1245, 1246, 1248, 1254, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1263, 1264, 1272, 1274, 1275, 1276, 1278, 1279, 1280, 1290, 1291, 1292, 1293, 1312, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1328, 1450, 1473, 1474, 1475, 1477, 1478, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1576, 1191/4470 एवं 1171/4471 सभी अंश भाग को खेसरा सं० 1198, 1199, 1236, 1252, 1273, 1449, 1476 एवं 1209/4469 सभी पूर्ण भाग है।

जिसकी चौहदरी निम्न प्रकार है -  
उत्तर : खेसरा सं० -1568, 1568, 1477, 1478, 1473, 1328, 1320, 1321, 419, 1317, 421, 1292, 1278, 1276, 425, 1275, 1274, 1261, 1260, 1259, 1258, 1257, 1254, 1248, 1246, 1245, 1244, 1239, 1235, 1234, 1227, 1225, 1209, 1191, 4470 एवं 4471 सभी अंश भाग एवं खेसरा सं० 1448, 1237 सभी पूर्ण भाग।  
पूर्व : मौजा-राबनीमा, थाना नं० 130 मिला- चादर सं० 2  
दक्षिण : खेसरा सं० -1576, 1571, 1572, 1573, 1475, 1474, 1473, 1450, 1312, 1319, 1318, 1317, 1293, 1291, 1290, 1279, 1276, 1280, 1272, 1263, 1264, 1257, 1254, 1248, 1246, 1245, 1244, 1241 एवं 1243 सभी अंश भाग।  
पश्चिम : मौजा- मोहम्मदपुर, थाना नं०- 135 का सिमाना।



यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है तथा सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है तथा सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना और उनके कार्यालयों तथा इस परियोजना से संबंधित प्रारम्भिक अनुसंधान में उत्तरम्ब लगे उच्च मुख्य अभियंता(निर्माण) पूर्व गद्य रेलवे, दानापुर, पटना के पदाधिकारी एवं कार्यालयों को भूमि पर जाने और उत्तरका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कर्मों को समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कर्तव्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना को शीघ्रता से ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा (5A) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

  
समाहता  
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
  
सरकार के  सचिव

डाफांक संख्या - 15/डी0 एल0 ए0 पटना (रेल) - 19/13-1 - दिनांक - 02 - 07 - 13

- 1723/रग

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पटना को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6/7/13  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।